



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायोगी Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

संदर्भ सं.निबीप्रगानि.दानिवि/ 5467 /05.01.01/2012-13

15 जनवरी 2013

26 अप्रैल 2007 से पूर्व परिसमापनाधीन बीमाकृत सहकारी बैंकों के परिसमापकों द्वारा अनुपूरक दावों का प्रस्तुतीकरण - "सावधि विधि खंड" (सनसेट क्लाज)

उपर्युक्त विषय में 30 अप्रैल 2012 की प्रेस प्रकाशनी के क्रम में यह पुनः दोहराया जा रहा है कि 26 अप्रैल 2007 के पूर्व परिसमानाधीन सहकारी बैंकों में ए बी / बी ए आधार पर रखे संयुक्त खातों से संबंधित अनुपूरक दावों के लिए परिसमापकों को केवल 31 मार्च 2013 तक प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी। अतः उक्त तारीख के पूर्व परिसमापनाधीन सभी बीमाकृत सहकारी बैंकों के परिसमापकों को निगम द्वारा सूचित किया गया है कि वे कृपया यह सुनिश्चित करें कि इससे संबंधित कोई अनुपूरक दावा यदि अभी भी विचाराधीन हो तो उसे 31 मार्च 2013 तक अथवा उसके पूर्व प्रस्तुत कर दिया जाए। उनके द्वारा 31 मार्च 2013 के बाद प्रस्तुत ऐसे खातों से संबंधित किसी अनुपूरक दावे पर निगम द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

मोलिना चौधरी

महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-13

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फ़ैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।



निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक की संपूर्ण स्वामित्ववाली सहायोगी: Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India)

www.dicgc.org.in

Ref No. DICGC. CSD / 5467 / 05.01.01/ 2012 – 13

January 15, 2013

Submission of Supplementary Claims by Liquidators of Insured Co-operative Banks under Liquidation prior to April 26, 2007 - “Sunset” Clause

In continuation of the press release dated April 30, 2012, on the subject, it is reiterated that the liquidators would be allowed to submit the Supplementary Claims in respect of joint accounts held on AB/BA basis in co-operative banks taken up for liquidation prior to the April 26, 2007, only upto March 31, 2013. Liquidators of all the insured cooperative banks taken up for liquidation prior to the said date have been advised by the Corporation to ensure that any Supplementary claims still pending are submitted on or before March 31, 2013. No supplementary claims in respect of such accounts, submitted by them after March 31, 2013 would be considered by the Corporation.

Molina Chowdhury
General Manager

Press Release: 2012-13

प्रधान कार्यालय : भारतीय रिज़र्व बैंक बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, पोस्ट बॉक्स सं.4571 मुंबई सेंट्रल, मुंबई- 400 008
टेलिफोन: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 फ़ैक्स: 022-23018165,23015662,23021131, ई-मेल : dicgc@rbi.org.in
HEAD OFFICE : Reserve Bank of India Building, Second Floor, Opp. Mumbai Central Railway Station, Post Box No.4571 Mumbai Central, Mumbai-400 008
Tel: 022-2306 2160-64, 23014655,23011991, 23084121 Fax: 022-23018165,23015662,23021131, mail: dicgc@rbi.org.in

हिंदी आसान है, इसका प्रयोग बढ़ाइए।